

Duplicate Copy

07-Feb-2023

आदेश

तिथि

Dec 17 2022

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा दामोदरपुर थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
180	1863	0 एकड़, 4.17 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
NILKANTH SHARMA	पिता	LATE BHOLA PRASAD SINGH

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 6131 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
निलकंठ शर्मा	पिता	गणेश प्रसाद सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। सम्बंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **5रुपये****स्वीकृत**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद

आदेश

तिथि

Dec 17 2022

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा दामोदरपुर थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
180	1863	0 एकड़, 4.17 डिसमील, 0 हेक्टर

का विक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
NILKANTH SHARMA	पिता	LATE BHOLA PRASAD SINGH

है जिन्होंने निबंधित विक्री, विक्री-केवाला संख्या 6131 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को विक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
निलकंठ शर्मा	पिता	गणेश प्रसाद सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। सम्बंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान रुपये.

स्वीकृत

किया जाता है।

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनवाद

Shobha Sinha